

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ~~सहायक कलेक्टर~~ मुकाम : राशमी

~~चीठी~~ बनाम ~~समरजीत~~


किस्म मुकदमा ~~रजस्व वाह~~ नं. 32 सन 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-11-18	<p>09/09/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ज.सा.व.वा.वा. दिनांक ...11-10-18... को पेश है।</p> <p>11-11-18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ज.सा.व.वा.वा. दिनांक ...13-12-18... को पेश है।</p> <p>आधिवक्ता वाडी के निवेदन पर पत्रावली सिवाहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई आधिवक्ता प्रवर्द्धित कीर ने वाडिया की ओर से अधिकार पत्र पेश किया जो 200 पं० है। वाडिया स्वयं वाडिया चडिया की पहचान आधिवक्ता डार की है। आधिवक्ता वाडी ने प्राथमिक पत्र पेश कर निवेदन किया की फरम में वाडिया जागे का निवेदन मही-वाडली है अतः कार्यवाही डाप की जोग खजिर आधिवक्ता वाडी ने आड शिख पर 407 PRESS डीजिन किया। हमें पत्रावली का अवलोकन किया। आधिवक्ता वाडी डार की वही सर्व वाडली कार्यवाही डाप</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large blue stamp.



(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपसचिव अधिकारी)
राशमी

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p> को एव त्रपा सुगा। ममन डिमा वडीमा स्वामी अपना वाड पत्र मदी चालाना-वाहती है ऐसी स्थिति अदि वरदा चडि के मिचडम को रकी कर किया जाना है एव वडीमा का वाड पत्र अनरकी धारा 88-53 रजम 1955 को बिडुल में खारीज किया जाना है। पत्रावली के सल सुमार होकर नमबर से कम है। पत्रावली वाड गिला सुमरी वाखिल इफर है। अदिम से इगलाह सुनामा रामा। </p> <p style="text-align: center;"> ^{mm} (बनवारी लाल) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) राशमी </p>	<div data-bbox="1161 698 1412 954" style="text-align: center;">  </div>

(नाम) (दिनांक)
 (पता) (संख्या)
 (शहर)